न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0 / एस0टी0ऐक्ट) /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2, उन्नाव।

विशेष सत्र परीक्षण संख्याः-645 / 2021

राज्य बनाम प्रेम आदि
दिनॉकः-22-11-2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर अभियुक्तगण प्रेम लोध व दया शंकर लोध जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए।

आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन कथानक को विस्तार पूर्वक बताया गया तथा इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि अभियोजन कथानक को वह अपने साक्ष्य से प्रमाणित करेगे। अभियुक्त पक्ष द्वारा कहा कि उन्हे झूठा फॅसाया गया है तथा उनके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का कोई साक्ष्य नही है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण प्रेम लोध व दया शंकर लोध के विरूद्ध धारा 302, 201, 34, 394, 411 भारतीय दण्ड संहिता व 3(2)5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाती हूँ।

अतः अभियुक्तगण प्रेम लोध व दया शंकर लोध के विरूद्ध धारा 302 / 34, 201 / 34, 394 / 34, 411 भारतीय दण्ड संहिता व 3(2)5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपो से इंकार किया तथा विचारण की मॉग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनॉक 18-1-2023.को पेश हो। गवाहान नियत तिथि के लिए तलब हो।

(अल्पना शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0 / एस0टी0ऐक्ट) /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0-2, उन्नाव।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0ऐक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0—2, उन्नाव।

उपस्थितः— अल्पना शुक्ला
.एच0जे0एस0

विशेष सत्र परीक्षण संख्याः—645/2021

राज्य बनाम प्रेम आदि

<u>आरोप</u>

मै, अल्पना शुक्ला, विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0ऐक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0—2, उन्नाव,

आप,

अभियुक्तगण प्रेम लोध व दया शंकर लोध को निम्न लिखित आरोपो से आरोपित करती हूँः—

प्रथमः— यह कि दिनांक 16—2—2021 को समय करीब 3 बजे दोपहर, वहद स्थान कमला होटल के पीछे, यूकेलिटिस के बाग में, ग्राम बिचपरी, थाना अजगैन, जिला उन्नाव में आप लोगो ने एक राय होकर वादी नेकराम की पत्नी श्रीमती रोशनी उर्फ बबली को अपनी मोटर साइकिल में बैठाकर ले जाकर उसके गहने व मोबाइल व कुछ पैसे की लूट करने के आशय से स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगो ने **धारा 394/34 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः— यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर से आप लोगो ने एक राय होकर वादी नेकराम की पत्नी श्रीमती रोशनी उर्फ बबली को अपनी मोटर साइकिल बैठाकर ले जाकर उसकी हत्या कारित की। इस प्रकार आप लोगो ने **धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः— यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर से आप लोगो ने वादी नेकराम की पत्नी श्रीमती रोशनी उर्फ बबली को अपनी मोटर साइकिल बैठाकर ले जाकर उसकी हत्या करके साक्ष्य का विलोपन करने के आशय से कमला होटल के पीछे, यूकेलिटिस के बाग में उसके शव को फेक दिया। इस प्रकार आप लोगो ने **धारा 201/34 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः— यह कि दिनॉक 26—2—2021 को प्रभारी निरीक्षक मय निरीक्षक अभिमन्यु मल्लाह, उपनिरीक्षक इरफान अहमद, कां0 बृजेन्द्र सिंह कां0 नितिश यादव के मय जीप सरकारी यू0पी035 जी—0410 चालक हे0 कां0 फैय्याज अहमद के साथ तलाश वांछित अपराधी सम्बन्धित मु0अ0सं0 60/2001 धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता में मामूर

थे, तभी अनामिका ढाबा के पास, थाना अजगैन, जिला उन्नाव में मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके वाहनो को ढाबे की आड़ में छिपकर इन्तजार करने लगे, तभी दो व्यक्ति मोटर साइकिल से आते हुए दिखायी दिये। मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यही दोनो जो मोटर साइकिल से आ रहे है, प्रेम व दया शंकर है। उन्हे रोका–टोका गया तो वे लोग मुड़कर भागने का प्रयास करते हुए लड़खड़ा करके गिर पड़े। हमराहियो की मदद से उन्हे पकड़कर नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम प्रेम पुत्र राज कुमार लोध नि0 ग्राम भितरेपार थाना अजगैन, जिला उन्नाव व दूसरे ने अपना नाम दया शंकर पुत्र स्व0 श्री कृष्ण उर्फ कन्हैया लोध नि0 ग्राम बिचपरी थाना अजगैन, जनपद उन्नाव बताया। उन्होने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि साहब दिनॉक 16–2–2021 को बबली उर्फ रोशनी पत्नी नेकराम की हम दोनो ने जूट की रस्सी से हत्या करके जेवर पैसा, मोबाइल लूट लिये। आप अभियुक्तगण ने बॉसकोठी के पास गढ्ढा खोदकर एक पन्नी में जेवर व टूटा मोबाइल व रस्सी बरामद करायी तथा पैसे का खर्च हो जाना कहा। इस प्रकार आप लोगो ने **धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः– यह कि दिनांक 16–2–2021 को समय करीब 3 बजे दोपहर, वहद स्थान कमला होटल के पीछे, यूकेलिटिस के बाग में, ग्राम बिचपरी, थाना अजगैन, जिला उन्नाव में आप लोगो ने एक राय होकर वादी नेकराम की पत्नी श्रीमती रोशनी उर्फ बबली जो कि अनुसूचित जाति की है, को अपनी मोटर साइकिल में बैठाकर ले जाकर उसके गहने व मोबाइल व कुछ पैसे की लूट कारित करते हुए स्वेच्छया उपहति कारित की तथा जूट की रस्सी से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कारित की। दिनॉक 26–2–2021 को अनामिका ढाबे के पास, आप पकड़े गये और आपके पास से लूटे हुए जेवर, रस्सी, मोबाइल बरामद हुए। इस प्रकार आप लोगो ने **धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मै आप लोगो को आदेश देती हूँ कि उपरोक्त आरोप के संदर्भ में आप लोगो का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनॉक 22–11–2022

(अल्पना शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0 / एस0टी0ऐक्ट) /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–2, उन्नाव।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे इंकार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनॉक 22–11–2022

(अल्पना शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0 / एस0टी0ऐक्ट) /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–2, उन्नाव।